न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 09/22 **सन् 2022**

जीसीएमएस संख्या 2022/47

बउनवानी– 1. श्योजीराम पुत्र सीताराम मीना निवासी बनोटा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. तोलाराम पुत्र सीताराम मीना निवासी बनोटा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. सूरतराम पुत्र सीताराम मीना निवासी बनोटा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 512/2019 निर्णय दिनांक 22.10.2019 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :– 1. श्री राधेश्याम जोगी — वकील अपीलान्ट
2. श्री तौफिक मोहम्मद — वकील रेस्पो.(पैरोकार)

–: निर्णय :– **दिनांक 23.08.2022**

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 512/2019 में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल किया जाकर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया एंव विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2076 मे वाके ग्राम बनोटा तहसील सवाईमाधोपुर की भूमि आराजी ख0न0 418,419,420 रकबा 0.33 है0 किस्म गै0मु0 खारडा की भूमि पर तिल की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का नींदडदा द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट का अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है। यह तर्क भी दिया कि वाके ग्राम बनोटा की भूमि आराजी ख0न0 418,419,420 गै0मु0 खारडा रकबा 0.33 है0 भूमि पर तिल की फसल काश्त करने की झूंठी रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश की गयी है जिसके आधार पर अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जबकि उक्त आराजीयात पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नही है। तहसीलदार सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार भी विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा [illegible] नही है तथा विवादित भूमि वर्तमान में खाली पडी है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट को आदेश जेर अपील की स[illegible] जानकारी दिनांक 27.1.2022 को प्राप्त हुई है, प्राप्त जानकारी से [illegible] प्राप्त होने पर अपील [illegible] मयाद मय लिमि0 प्रार्थना पत्र दफा–5 मय शपथ पत्र के पेश की गयी है। जिसमें विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार फरवायी अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:33:19 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहॉ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में अपीलान्ट को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट के नोटिस की स्वंय अपीलान्ट सूरतराम से विधिवत करवायी गयी तामील से हो जाती है। जहॉ तक ग्राम बनोटा की भूमि आराजी ख0न0 418,419,420 रकबा 0.33 है0 की भूमि पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने का प्रश्न है तो इसकी पुष्टि खसरा परिवर्तनशील सम्वत,2075 से हो जाती है। क्योकि सम्वत् 2075 मे भी उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा जोत लगाकर अतिक्रमण किया गया था। चूंकि अपीलान्ट उक्त भूमि पर नियमित रूप से काश्त कर अतिक्रमण कर रहा है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूॅचता हूॅ कि अदालत मातहेत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट की तलवी हेतु जारी नोटिस की स्वंय अपीलान्ट सूरतराम से करवायी गयी तामील से हो जाती है। विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने की पुष्टि खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2075 से हो जाती है जिसके अनुसार सम्वत् 2075 मे भी अपीलन्ट द्वारा उक्त भूमि पर जोत लगाकर अतिक्रमण किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात क अनुसार आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किया गया है किन्तु तहसीलदार सवाईमाधोपुर से तलब की गयी मौका रिपोर्ट (दिनांक 8.7.2022) के अनुसार वर्तमान मे विवादित भूमि पर अपीलान्टगण का कब्जा काश्त नही है एवं उक्त भूमि वर्तमान में मौके पर खाली है, चूंकि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है इसलिए भविष्य मे उक्त भूमि पर अतिक्रमण नही करने की शर्त पर आदेश जैर अपील खारिज किया जाना उचित समझता हूॅ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संशर्त आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्टगण से विवादित भूमि पर भविष्य मे अतिक्रमण नही करने के आशय का अण्डर टैंकिंग लेकर विवादित भूमि का मौका देखे। यदि मुताबिक अण्डर टैंकिंग अपीलान्टगण का विवादित भूमि पर अतिक्रमण न हो तो आदेश जैर अपील सजा की सीमा तक खारिज समझा जावे एवं यदि विवादित भूमि पर अपीलान्टगण का अतिक्रमण यथावत पाया जावे तो आदेश जैर अपील यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.8.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:33:19 IST
Reason: SelfAttested